"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2012— आश्विन 27, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती एकता सिंह पति श्री धनंजय कुमार सिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 32-सी, क्रास सड़क-1, सेक्टर-1, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मैं श्रीमती शीला देवी पति श्री धनंजय कुमार सिंह के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा मेरे पति के भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में यही नाम दर्ज है, को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम श्रीमती एकता सिंह पति श्री धनंजय कुमार सिंह दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती एकता सिंह पति श्री धनंजय कुमार सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती शीला देवी पति - श्री धनंजय कुमार सिंह निवासी-क्वा. नं. 32-सी क्रास सड़क-1, सेक्टर-1, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती एकता सिंह पति - श्री धनंजय कुमार सिंह निवासी-क्वा. नं. 32-सी क्रास सड़क-1, सेक्टर-1, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आलोक चन्द्र ऋषि, उम्र 57 वर्ष, निवासी-ग्रेस होम, रिंग रोड नं. 2, जरहाभाठा, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने पुत्र पलक चन्द्र ऋषि (PALAK CHANDRA RISHI) का नाम परिवर्तित कर नया नाम अक्ष पलक ऋषि (AKSH PALAK RISHI) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को अक्ष पलक ऋषि पिता आलोक चन्द्र ऋषि के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
पलक चन्द्र ऋषि पिता - श्री आलोक चन्द्र ऋषि निवासी-ग्रेस होम, रिंग रोड नं. -2 जरहाभाठा, बिलासपुर तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	अक्ष पलक ऋषि पिता - श्री आलोक चन्द्र ऋषि निवासी-ग्रेस होम, रिंग रोड नं. -2 जरहाभाठा, बिलासपुर तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, परदेशी राम साहू पिता स्व. श्यामलाल साहू, उम्र 53 वर्ष, निवासी-ग्राम-अकलोरडीह, पो.-सुरड़ुंग, थाना-भिलाई-3, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के आई. ई. डी.-I विभाग में चार्जमेन के पद पर कार्यरत हूं, मेरा पर्सनल नं. 895989 है. मेरे विभागीय सर्विस रिकार्ड एवं विभागीय अभिलेखों में मेरा नाम "परदेशी" दर्ज हो गया है, को सुधार कर सही नाम "परदेशी राम साहू" दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे परदेशी राम साहू पिता स्व. श्यामलाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
परदेशी पिता - स्व. श्यामलाल साहू निवासी-ग्राम-अकलोरडीह पो. -सुरड़ुंग थाना-भिलाई-3 तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	परदेशी राम साहू पिता - स्व. श्यामलाल साहू निवासी-ग्राम-अकलोरडीह पो. -सुरड़ुंग थाना-भिलाई-3 तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, उत्तर बस्तर कांकेर

कांकेर, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

राजस्व मामला क्रमांक / बी -113 /2011-12

क्रमांक /1402/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2012.—आवेदक श्री बंशीलाल श्रीवास्तव, निवासी- अन्नपूर्णापारा कांकेर, तहसील कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर एवं अन्य 8 के द्वारा छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत गायत्री परिवार ट्रस्ट गायत्री प्रज्ञा मंदिर अन्नपूर्णापारा, कांकेर को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्वसाधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई 31-10-2012 को न्यायालय अवधि में रखी गई है, अत: संबंधित पक्षकार जो ट्रस्ट का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के निकलने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी दिनांक को स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित समय में आक्षेप कर सकते हैं, अवधि समाप्त होने पर प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	गायत्री परिवार ट्रस्ट गायत्री प्रज्ञा मंदिर अन्नपूर्णापारा, कांकेर.
2.	चल संपत्ति	:	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा, कांकेर, क्रमांक 1949301923 में रुपये 1,27,725.00 नगद जमा.
3.	अचल संपत्ति	:	1. भूमि खसरा नम्बर 325/2 रकबा 0.11 डिसमिल अनुमानित मूल्य 1,10,000.00 2. गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा निर्मित मंदिर भवन एवं चार कमरे अनुमानित मूल्य 3,40,000.00 3. टीनशेड (ओपन) अनुमानित मूल्य 1,20,000.00 4. शौचालय (स्नानगृह) अनुमानित मूल्य 40,000.00 5. गायत्री मूर्ति संगमरमर की अनुमानित मूल्य 30,000.00

अरविंद एक्का,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बेमेतरा (छ. ग.)

बेमेतरा, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्रमांक/उपंबे/परिसमापन/2012/236.— छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति मर्या., कुसमी, पं. क्र. 2154, विकासखंड बेरला, जिला-बेमेतरा को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबे/परि./2012-13/205 दिनांक 28-08-2012 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्रस्तुत करने हेतु संस्था को 15 दिवस का समय दिया गया था. संस्था की ओर से अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की बैठक लेकर उसके निर्णयानुसार सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें समिति का परिसमापन में जाना अनिवार्य बताया गया है. अत: मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज बेमेतरा, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति मर्या., कुसमी, पं. क्र. 2154 विकासखण्ड- बेरला, जिला-बेमेतरा को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

अत: समिति का समस्त लेन-देन पूर्ण करने के लिए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, श्री वी. के. सिन्हा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, बेरला को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-09-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्रमांक/उपंबे/परिसमापन/2012/245.— छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाडाडीह, पं. क्र. 2252 विकासखंड साजा, जिला-बेमेतरा को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबे/परि./2012-13/224 दिनांक 06-09-2012 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. जवाब प्रस्तुत करने हेतु संस्था को 15 दिवस का समय दिया गया था. संस्था की ओर से अध्यक्ष द्वारा अपने जवाब में संस्था अकार्यशील होना बताया गया है तथा संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने बाबत लेख किया गया है. अत: मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज बेमेतरा, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) [illegible]न्तर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों [illegible]योग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाडाडीह, पं. क्र. 2252, विकासखण्ड-साजा, जिला-बेमेतरा को इस आदेश के दिनांक से [illegible]मापन में लाता हूं.

अत: समिति का समस्त लेन देन पूर्ण करने के लिए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, श्री नीरज खत्री, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, साजा को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-09-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. तिग्गा,
सहायक रजिस्ट्रार.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.